विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, दुर्ग
दुर्ग क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर नाका दुर्ग–491001

क्र: 193 दि. 30/06/2026

प्रकरण क्रमांक CGRF/DURG/2026/49
दिनांक 08.05.2026

आवेदक

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पंचायत, डौण्डी लोहारा, जिला बालोद
बी.पी. नं. **1001969209**,
मो नं. **9589845434**

विरूद्ध

अनावेदकगण

कार्यपालन अभियंता (संचा/संधा) संभाग
छ.स्टे.पॉ.डि.कं.लिमि., बालोद

सहायक अभियंता उपसंभाग
छ.स्टे.पॉ.डि.कं.लिमि., डौंडीलोहारा

विषय :– नगर पंचायत डौण्डी लोहारा के सड़क बत्ती हेतु स्थापित 5 किलोवाट के विद्युत कनेक्शन में मीटर रीडिंग एवं बिलिंग संबंधी अनियमितता के संबंध में।

आदेश

(आज दिनांक 26.06.2026 को पारित किया गया)

1. विवाद का संक्षिप्त विवरण

आवेदक द्वारा प्रस्तुत परिवाद में यह अभ्यावेदन किया गया कि बी.पी. क्रमांक 1001969209 से संबंधित सड़क बत्ती विद्युत कनेक्शन में मीटर रीडिंग एवं बिलिंग में अनियमितता होने के कारण त्रुटिपूर्ण विद्युत देयक जारी किए जा रहे हैं। अतः पूर्व अवधि की बिलिंग का परीक्षण कर संशोधित विद्युत देयक जारी किए जाने की प्रार्थना की गई।

फोरम द्वारा उक्त परिवाद को प्रकरण क्रमांक CGRF/DURG/2026/49 के अंतर्गत पंजीबद्ध कर सुनवाई प्रारंभ की गई।

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, दुर्ग
दुर्ग क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर नाका दुर्ग–491001

क्र: 193 दि. 30/06/2026

प्रकरण क्रमांक CGRF/DURG/2026/49
दिनांक 08.05.2026

आवेदक

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पंचायत, डौण्डी लोहारा, जिला बालोद
बी.पी. नं. **1001969209**,
मो नं. **9589845434**

विरूद्ध

अनावेदकगण

कार्यपालन अभियंता (संचा/संधा) संभाग
छ.स्टे.पॉ.डि.कं.लिमि., बालोद

सहायक अभियंता उपसंभाग
छ.स्टे.पॉ.डि.कं.लिमि., डौंडीलोहारा

विषय :– नगर पंचायत डौण्डी लोहारा के सड़क बत्ती हेतु स्थापित 5 किलोवाट के विद्युत कनेक्शन में मीटर रीडिंग एवं बिलिंग संबंधी अनियमितता के संबंध में।

आदेश

(आज दिनांक 26.06.2026 को पारित किया गया)

1. विवाद का संक्षिप्त विवरण

आवेदक द्वारा प्रस्तुत परिवाद में यह अभ्यावेदन किया गया कि बी.पी. क्रमांक 1001969209 से संबंधित सड़क बत्ती विद्युत कनेक्शन में मीटर रीडिंग एवं बिलिंग में अनियमितता होने के कारण त्रुटिपूर्ण विद्युत देयक जारी किए जा रहे हैं। अतः पूर्व अवधि की बिलिंग का परीक्षण कर संशोधित विद्युत देयक जारी किए जाने की प्रार्थना की गई।

फोरम द्वारा उक्त परिवाद को प्रकरण क्रमांक CGRF/DURG/2026/49 के अंतर्गत पंजीबद्ध कर सुनवाई प्रारंभ की गई।

2. प्रकरण की कार्यवाही

दिनांक 19.05.2026 को प्रथम सुनवाई आयोजित की गई, जिसमें आवेदक अनुपस्थित रहे तथा अनावेदकों का प्रतिनिधि उपस्थित हुआ। प्रकरण की अगली सुनवाई दिनांक 17.06.2026 को आयोजित की गई, जिसमें भी आवेदक अनुपस्थित रहे तथा अनावेदकों की ओर से सहायक अभियंता एवं कनिष्ठ अभियंता, उपसंभाग डौण्डी लोहारा उपस्थित हुए।

फोरम द्वारा अनावेदकों को निर्देशित किया गया कि प्रकरण से संबंधित संपूर्ण बिलिंग अभिलेख, पिछले तीन वर्षों के बिलिंग गणना पत्रक एवं मीटर रीडिंग संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएँ।

दिनांक 24.06.2026 को अनावेदकों द्वारा आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत किए गए। प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार बी.पी. क्रमांक 1001969209 में स्थापित पुराने GENUS मीटर को दिनांक 24.08.2025 को स्मार्ट मीटर से प्रतिस्थापित किया गया। पुराने मीटर की अंतिम रीडिंग के आधार पर अंतिम बिलिंग की जा चुकी थी। पुराने मीटर में पावर फैक्टर (PF) की रीडिंग उपलब्ध नहीं थी। स्मार्ट मीटर स्थापित होने के पश्चात अधिकतम मांग (MD) एवं पावर फैक्टर (PF) की रीडिंग दर्ज की जा रही है तथा नियमानुसार पावर फैक्टर अधिक होने पर छूट प्रदान की जा रही है।

3. फोरम द्वारा परीक्षण एवं निष्कर्ष

प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों, बिलिंग गणना पत्रक एवं पक्षकारों के कथनों का परीक्षण करने पर फोरम निम्न निष्कर्ष पर पहुँचता है–

1. अनावेदकों द्वारा यह कथन प्रस्तुत किया गया कि पुराने मीटर में पावर फैक्टर की रीडिंग उपलब्ध न होने के कारण पावर फैक्टर के आधार पर कोई बिलिंग नहीं की गई। किन्तु फोरम द्वारा प्रस्तुत बिलिंग गणना पत्रक के परीक्षण से यह पाया गया कि माह नवम्बर 2023 से जुलाई 2025 की अवधि में पावर फैक्टर सरचार्ज की बिलिंग की गई है, जबकि उस अवधि में पावर फैक्टर की रीडिंग उपलब्ध नहीं थी। अतः बिना पावर फैक्टर रीडिंग के पावर फैक्टर सरचार्ज लगाया जाना प्रचलित टैरिफ आदेश के अनुरूप नहीं है। इसलिए उक्त अवधि के विद्युत देयकों का पुनरीक्षण किया जाना आवश्यक है।

2. अभिलेखों से यह भी स्पष्ट है कि स्मार्ट मीटर स्थापित होने से पूर्व माह अगस्त 2024, सितम्बर 2024 एवं अक्टूबर 2024 में अधिकतम मांग (डब्) लगभग 4.65 किलोवाट दर्ज हुई थी। यद्यपि प्रचलित टैरिफ आदेश के अनुसार ऐसी स्थिति में अनुबंधित भार के पुनर्निर्धारण की कार्यवाही अपेक्षित थी, तथापि अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि वर्तमान में उपभोक्ता का अनुबंधित भार 5 किलोवाट किया जा चुका है। अतः इस संबंध में किसी अतिरिक्त निर्देश की आवश्यकता नहीं है।

3. प्रस्तुत मीटर रीडिंग एवं बिलिंग अभिलेखों के परीक्षण से ऊर्जा खपत की गणना एवं मीटर रीडिंग में किसी प्रकार की विसंगति अथवा त्रुटि प्रमाणित नहीं हुई।

4. आदेश

अतः फोरम निम्न आदेश पारित करता है–

1. अनावेदक माह नवम्बर 2023 से जुलाई 2025 की अवधि के विद्युत देयकों का परीक्षण कर, जिस अवधि में पावर फैक्टर की रीडिंग उपलब्ध नहीं थी, उस अवधि में लगाए गए पावर फैक्टर सरचार्ज को निरस्त करते हुए प्रचलित टैरिफ आदेश के अनुसार संशोधित विद्युत देयक 30 दिवस के भीतर जारी करें तथा संशोधित गणना पत्रक आवेदक को उपलब्ध कराएं।

2. चूंकि उपभोक्ता का अनुबंधित भार वर्तमान में 5 किलोवाट किया जा चुका है, इसलिए अनुबंधित भार के संबंध में किसी अन्य निर्देश की आवश्यकता नहीं है।

3. प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर मीटर रीडिंग एवं ऊर्जा खपत की गणना में किसी प्रकार की अनियमितता सिद्ध नहीं होती। अतः इस संबंध में आवेदक की शिकायत स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

4.उपरोक्त मदों में की गई अतिरिक्त राशि की वसूली को आगामी विद्युत देयकों में समायोजित किया जाए।

5. समस्त कार्यवाही एवं संशोधित बिल जारी करने की प्रक्रिया आदेश की प्रति प्राप्ति से 30 दिवस के भीतर पूर्ण की जाए तथा अनुपालन प्रतिवेदन फोरम के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

6. उपरोक्त आदेश फोरम द्वारा विधिवत पारित किया जाता है।

7. प्रकरण फोरम के समक्ष प्रस्तुत तथ्यों एवं प्रतिवेदनों के आधार पर निराकृत।

8. यदि शिकायतकर्ता/आवेदक फोरम द्वारा पारित उक्त आदेश से असंतुष्ट हो तो माननीय विद्युत लोकपाल रायपुर के समक्ष इस आदेश की प्राप्ति की तिथि से 45 दिनों के भीतर अपील दायर कर सकता है।

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम दुर्ग

(ममता कश्यप)
सदस्या
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग

(पी.व्ही. सजीव)
अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग